न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 03/2021

1. राजू पुत्र स्व0 दामोदर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी गढ के पास वार्ड नं0 28 रतनगढ जिला चूरू ।
2. श्रीमती ममता पुत्री स्व0 दामोदर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी गढ के पास वार्ड न0 28 रतनगढ जिला चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. राजकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
2. अनिल कुमार पुत्र गिरधारीलाल जाति ब्राहमण निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
3. मनोज कुमार पुत्र किशनलाल जाति ब्राहमण निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
4. लीलाधर पुत्र मालाराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
5. ओमप्रकाश पुत्र मालाराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
6. राजकुमार पुत्र मालाराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
7. कैलाश कुमार पुत्र सुशीलकुमार जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
8. विष्णु कुमार पुत्र सुशील कुमार जाति बाहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
9. माया देवी पुत्री सुशील कुमार जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
10. मोहनी पुत्री मालाराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू । 11

11. निर्मला पुत्री मालाराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
12. अर्जुनराम पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
13. महावीर पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
14. सत्यनारायण पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
15. पवनकुमार पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
16. उर्मिला पत्नी विनोद कुमार जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
17. विक्की पुत्र विनोद कुमार जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
18. रेणु पुत्री विनोद कुमार जाति ब्राहमण निवासी सिनेमा हाल के पास वार्ड न0 26 रतनगढ जिला चूरू ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रतनगढ जिला चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

20. श्रीमती पुनम पुत्री स्व0 दामोदर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी गढ के पास वार्ड न0 28 रतनगढ जिला चूरू ।

गौण रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. श्री सुधीर कुमार सोालकी अधिवक्ता अपीलांट ्

2.श्री मनोज ठंठेरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय
दिनांक 24.02.2020 के विरूद्व अपील
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः—25.04.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी रतगढ के निर्णय दिनांक 24.02.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 721 जो हाल खसरा न0 679 तादादी 4.10 बीघा हाल ख0न0 1044 तादादी 14.13 बीघा कुल तादादी 19.03 बीघा रोही रतनगढ में अधिकारो की घोषणा बाबत बेदखली, खाता विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जो खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 721 जो हाल खसरा न0 679 तादादी 4.10 बीघा हाल ख0न0 1044 तादादी 14.13 बीघा कुल तादादी 19.03 बीघा रोही रतनगढ में स्थित है । जिसके अधिकारों की घोषणा, बेदखली, खाता विभाजन एवम चिरनिषेधाज्ञा बाबत एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसमें पक्षकारों की तलबी जैरकार रही दोराने तलबी प्रतिवादी सं0 12 एवम 14 से 19 के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीनी सं0 13 की मृत्यु उपरांत वाद प्रस्तत होने के कारण वाद खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र फर्दअहकाम पर दर्ज नही था । अपीलांट द्वारा वादी दामोदर की मृत्यु दिनांक 06.10.2015 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12.15 को प्रस्तुत कर जायज वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया जो अन्दर मियाद था । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किये जाने एवम इसमें संलग्न दस्तावेजो को पत्रावली में सामिल करने का फर्दअहकाम में दर्ज नही किया और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.15 का भी अंकन फर्दअहकाम में दर्ज नही किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.15 का प्रार्थना पत्र राजू की और से प्रस्तुत किया जाना दर्ज किया गया है एवम अपने आदेश में राजू दावे में पक्षकार दर्ज नही है दर्ज किया है । अधीनस्थ न्यायालय में वाद राजू के पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया था और राजू वादी का उतराधिकारी है जो दावे में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को यह लिखते हुऐ स्वीकार नही किया कि राजू पक्षकार नही है अतः दावा खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वारिसानो के द्वारा अन्दर मियाद अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार नही मानते हुऐ दावा जरिये अबेटमेंट के खारिज कर दिया जो न्याय संगत नही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को समान अवसर देते हेत नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी जो उनके द्वारा नही की गयी । अतः अपीलाट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2020को खारिज किया जावे ।
3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस व पाथमिक आपत्ति में कथन किया कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के

आदेश दिनांक 24.02.2020 के विरूद्व पेश की है उक्त आदेश डिक्री की श्रेणी में नही आता है धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री के विरूद्व अपील पेश किये जाने का प्रावधान है साथ ही वादीगण/अपीलांट का दावा 24.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अबेटमेंट मानते हुए खारिज किया गया है उक्त आदेश से अपीलांट प्रभावित है तो अपीलांट को आदेश 22 नियम 9 (2) के तहत उपशमन के खारिज के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है न की सिधे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2020 की अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की है जो चलने योग्य नही है । रेस्पो0/अप्रार्थी अर्जुनराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.15 को प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि रेस्पो0/वादीगण वाद मिथ्या व मनगढत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया है का जवाब दिनाक 15.07.19 को प्रस्तुत किया उसमें भी वादी दामोदर व जीतमल की मृत्यु होने की कोई जानकारी अंकित नही की गयी है तथा ना ही जवाब के दोरान कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने या पत्रावली में शामिल नही होने के संबंध में आपत्ति उठाई गयी है । वादीगण के वारिसान की ओर से दिनांक 13.12.15 को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना दिनांक 17.02.2020 में अंकित किया गया है परन्तु वादीगण के मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन करने से इनके जारी होने की दिनांक 01. 10.16 है तो फिर दिनांक 03.12.15 को मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बात सही नही मानी जा सकती । वादीगण के वारिसानो द्वारा कोई वकालत नामा भी न्यायालय में पेश नही किया गया है । वादीगण की मृत्यु हुए करिब 5 वर्ष का समय व्यतित हो चुका है । इस प्रकार वादीगण का वाद समयावधि में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तु नही करने एवम प्रतिवादीनी सं0 13 गंगा पुत्री नत्थुराम के विरूद्व वाद हेतुक मानते हुऐ दावा दायर किया है जिसकी मृत्यु दावा दायरी से कई वर्ष पुर्व हो चुकी है के विरूद्व मृत्यु के पश्चात दावा दायर करने के कारण दावा अबेट हो चुका है ।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व प्राथमिक आपत्ति का अवलोकन किया रेस्पो0 द्वारा अपील धारा 223 में प्रस्तुत किया जाने का प्रावधान नही है पर अपीलांट अभिभाषक ने निवेदन किया कि यह मानवीय भूल के कारण धारा 225 की जगह 223 आरटीएक्ट लिखा गया है माननीय न्यायालय को उक्त अपील धारा 225 आरटीएक्ट में सूनने का श्रवणाधिकार है । रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दावा दिनांक 24.02.2020 को अबेटमेंट में खारिज किया गया है जिसका प्राार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 (2) मे प्रस्तुत किया जाना चाहिये था इस सदर्भ में अपीलांट/वादी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/बहस से पूर्व उपस्थित होकर वारिसान, कुर्सीनामा व कायममुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओं पर उसे खारिज कर दिया गया । जिसे यह न्यायालय न्यायोचित नही मानता है । वादी दामोदर पुत्र राजू द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 15.07.19 को प्रस्तुत किया जिसे राजू को दावे में पक्षकार नही मानते हुऐ खारिज कर दिया जो न्यायोचित प्रतित नही होता है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा अबेट किये जाने के पश्चात सभी पक्षकार न्याय से वंचित रह गये है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी दामोदर की मृत्यु एवम प्रतिवादीनी सं0 13 गंगा देवी की मृत्यु के

पश्चात जाईंदा वारिसान को पक्षकार बनाते हुऐ नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी जो नही की गयी । यह न्यायालय अपीलांट को न्याय प्राप्त करने हेतु न्यायहित में एक अवसर दिया जाना उचित मानता है । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश 22 नियम 9 (2) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रख सकता है । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को यह न्यायालय इसी स्तर पर खारिज करता है ।

4. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2020 को अपास्त जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को आदेश 22 नियम 9 (2) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर एव साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवार प्रदान किया जाकर गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
5. निर्णय आज दिंनाक 25.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर